न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रा.प्र.क्रं. निगरानी 2077-I सन् 2015

1– राजू कुशवाहा तनय गुवन्दी कुशवाहा आयु 31 वर्ष

2– हेमराज तनय गुवन्दी कुशवाहा आयु 28 वर्ष

3– गोटी कुशवाहा तनय गुवन्दी कुशवाहा आयु 26 वर्ष

4– श्रीमती चत्ती पत्नि गुवन्दी कुशवाहा आयु 51 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम चौकीपुरवा (मौरवा) तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.–––**निगरानीकर्तागण**

बनाम

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज 4-7-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4-7-15

शासन म.प्र. ––––––––––––––––– **अनावेदक**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है :–

1– यह कि भूमि खसरा नं. 712/4, 714/4, 746, 749 एवं 710/6 कुल किता–5 रकवा क्रमशः 0.445, 0.210, 0.494, 0.223, 2.023 है0 स्थित ग्राम मौरवा तह0 व जिला छतरपुर की भूमियाँ निगरानीकर्तागण की पैत्रिक भूमियाँ है जो कि राजस्व अभिलेखों मे उनके नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा निगरानीकर्तागण काबिजकाश्त है । निगरानीकर्तागण के द्वारा पूर्व में राजस्व मण्डल ईशानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नं. 710/6 का सीमांकन कराये जाने का निवेदन किया गया था । राजस्व निरीक्षक महोदय एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर भूमियों का सीमांकन ग्रामवासियों एवं सरहदी कृषकों के समक्ष किया जाकर पंचनामा तैयार किया गया था जिसे कि अति0 तहसीलदार महोदय छतरपुर के द्वारा दिनांक 22.8.2006 को विधिवत् सीमांकन स्वीकार किया गया था । जिस पर कि निगरानीकर्तागण आज तक काबित काश्त है। परन्तु पिछले वर्ष 2014 में वन विभाग के वन खण्ड सूरजपुरा वीट द्वारा बतलाया गया कि भूमि खसरा नं. 710/6 की भूमि वनभूमि है और वन भूमि से अपना कब्जा हटा लेवें जिस पर कि निगरानीकर्तागण के द्वारा वन विभाग के कर्मचारियो को उक्त सीमांकन बतलाया गया तब उन्होने निगरानीकर्तागण को पुनः सीमांकन कराने के लिये कहा था जिसके लिये निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानीकर्ता क्रं0–4 चत्ती के द्वारा एक आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक छतरपुर को दिनांक 19.5.2014 को सीमांकन बावत आवेदन पत्र दिया गया जिस पर कि निगरानीकर्तागण को यह बतलाया गया कि निगरानीकर्तागण को पुनः सीमांकन कराने के लिये पूर्व मे कराये गये सीमांकन को निरस्त कराना आवश्यक है। जिस कारण से निगरानीकर्ताण के द्वारा पूर्व मे स्वीकृत सीमांकन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त

मुकेश भार्गव 4-7-15 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2077—एक / 2015 जिला छतरपुर

राजू कुशवाहा आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28—2—2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 8 / अ—3 / 2005—06 में पारित आदेश दिनांक 22—8—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 12—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 3 28/2/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	